लोकतांत्रिक शासन में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की व्यवस्था जनता की उत्कृष्ट सेवा और उनके जीवन को सरल, सुगम और समृद्ध बनाने के लिए की गयी है। इनमें अपराध और भ्रष्टाचार समाज के सर्वांगीण विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए लोकतंत्र के इन तीनों अंगों में किसी भी स्तर पर व्याप्त अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों की समय-समय पर उच्च स्तरीय समीक्षा होनी चाहिए। अपराध और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के वर्षों से लंबित रहने पर कहीं न कहीं समुचित न्याय मिलने में विलंब हो जाता है। इससे अपराधियों तथा भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता है और यह समाज के लिए नासूर बन जाता है। यह समाज के लिए अत्यंत घातक प्रवृत्ति है। लंबे समय तक न्याय नहीं होना कहीं-न-कहीं अपराध को पोषित करता है और शासन व्यवस्था को चुनौती देता रहता है। ऐसे मामलों पर समय से न्याय मिले , इसके लिए विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्तर की समीक्षा समय-समय पर होनी चाहिए। अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने और उससे संबंधित मुकदमों की जल्द सुनवाई कर सजा देने से ही न्याय होगा। ये बातें बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहीं। श्री सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर तय समय सीमा में उनसे संबंधित मुकदमों का निपटारा करना होगा। कहा , माननीय सांसदों और विधायकों पर दर्ज मामले को माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना वापस नहीं करने संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये फैसला राजनीतिक शुचिता की दिशा में एक सराहनीय और समयानुकूल आवश्यक कदम है। भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित मामले की सुनवाई समय सीमा के अंदर करने से जनता में एक सकारात्मक संदेश जायेगा और अपराधी तथा भ्रष्टाचारी डरेंगे तथा अच्छे लोग प्रोत्साहित होंगे। हमें अपने आचरण और क्रिया-कलाप पर आत्मानुशासन और पैनी निगाह भी रखनी चाहिए। आज जरूरत अच्छे तथा ईमानदार लोगों को प्रोत्साहित , संरक्षित, सुरक्षित रखने और उन्हें हतोत्साहित होने से बचाने का है , जिसका अभाव समाज की तरक्की में बाधक बन रहा है। वक्त रहते अगर हम ईमानदारी से समीक्षा नहीं करेंगे तो आनेवाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी।